राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 91/झु/2015-16

प्रमाणित किया जाता है आर० के० मेमोरियल शिक्षण संस्थान झुंझुनूं वार्ड नं० 13 जिला झुंझुनूं

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम 28, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12 माह दिसम्बर सन् दो हजार पन्द्रह को झुंझुनूं में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएं, झुंझुनू

संतोष फोटो स्टेट एवं स्टेशनर्स, फार्म के थोक व खुदरा विक्रेता, नगर परिषद के सामने, झुंझुनू फोन नं. 01592-232826

रजिस्टर्ड

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक फा/संस्था/रजि. झुन्झुनू 3036 दिनांक 4/12/2015

सचिव

आर.के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान झुन्झुनू

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्ररिकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्ररिकरण के बारे में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 91/झु/2015-16 दिनांक 4-12-15 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति जिसकी सूचना भिजवाने का कष्ट करें ।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनीयम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है । जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है:-

(1) संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम पते पेशे की सूचना मय पद के ।

(2) एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

(3) संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकास के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो ऐसा परिवर्तन करने की तारिख से पन्द्रह दिन के अन्दर इस कार्यालय को पंहुच जाना चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध होने के पश्चात वृत जारी रहती है, पचास रूपये से अधिक नहीं होगा । यदि कोइ व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों या विनियमों को या उनके किये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जान-बूझकर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक हो सकता है ।

नोट : इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष अंकित करें ।

संलग्न : मूल प्रमाण पत्र

[signature]

रजिस्ट्रार संस्थाएं

राजस्थान, झुन्झुनू

संतोष फोटो स्टेट एवं स्टेशनर्स, झुंझुनू फोन नं. 232826

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

आवेदन पत्र

आर० के० मेमोरियल शिक्षण संस्थान .... समिति/ सोसाइटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम आर० के० मेमोरियल शिक्षण संस्थान वार्ड नं. 13 रोड नं. 3 झुंझुनू समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय झुंझुनूं वार्ड नं० 13 रोड नं० 3 [illegible] राजस्थान राज्य

कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य .... क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1	शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खोलना
2	छात्र छात्राओं का [illegible] मानसिक एवं शारीरिक विकास करना
3	आर्थिक रूप से पिछड़े [illegible] शिक्षा दिलाना।
4	शिक्षा का अधिकार [illegible] शिक्षा उपलब्ध करना
5	छात्र-छात्राओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना
6	शिक्षा एवं समाज के विकास के समुचित उपाय करना
7	नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाऐं खोलना एवं संचालन करना।
8	छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना
9	तकनिकी शिक्षा उपलब्ध कराना संस्थाऐं खोलना।
10	
11	

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष राधेश्याम (signature) मंत्री Subhita (signature) कोषाध्यक्ष

प्रधानाचार्य

आर० के० मैमोरियल शिक्षण संस्थान .... समिति/ सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान नियमावली

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम आर० के० मैमोरियल शिक्षण संस्थान
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। वार्ड नं. 13 रोड नं. 03

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय .... झुंझुनूं वार्ड नं 13 रोड नं 3 [illegible]
तथा कार्यक्षेत्र .... राजस्थान राज्य
कार्यक्षेत्र .... राजस्थान राज्य .... क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1	शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलना।
2	छात्र-छात्राओं का बौद्धिक मानसिक एवं शारिरिक विकास करना।
3	आर्थिक रूप से पिछड़ों को रियायती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराना।
4	शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शिक्षा उपलब्ध कराना।
5	छात्र छात्राओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना
6	शिक्षा एवं समाज के विकास के समुचित उपाय करना।
7	नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थायें खोलना एवं संचालन करना।
8	छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना।
9	तकनिकी शिक्षा उपलब्ध कराना संस्थाये खोलना।
10	
11	

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
   1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
   2. बालिग हो।
   3. पागल, दिवालिया न हो।
   4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि आस्था रखता हो।

5. सदस्यों का : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।
   1. संरक्षक
   2. विशिष्ट
   3. सम्माननीय
   4. साधारण
   (जो लागू न हो उसे काट दें।)

राजेन्द्र [illegible] Subhita [illegible]

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

निम्नलिखित है

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	राजेन्द्रसिंह पु०श्री रामकरण	व्यापार	मोडर्न पब्लिक स्कूल के पास, रोड नं. 3, झुन्झुनू	अध्यक्ष
2	सुमित्रा देवी प०श्री राजेन्द्रसिंह	गृहणी	मोडर्न पब्लिक स्कूल के पास रोड नं. 3 झुन्झुनू	मंत्री
3	विद्याधर पु०श्री बिरबलराम	कृषक	ग्रा.पो. दोरासर जिला - झुन्झुनू	कोषाध्यक्ष
4	सज्जन कुमार पु०श्री विद्याधर	कृषक	मईलों की ढाणी दोरासर जिला - झुन्झुनू	उप मंत्री
5	मन्नीराम पु०श्री रामनाथ	कृषक	मईलों की ढाणी दोरासर जिला - झुन्झुनू	उपाध्यक्ष
6	सुमित्रा देवी प०श्री इन्द्राजसिंह	गृहणी	नीलम होटल के पीछे पास भगत नगर, झुन्झुनू	सदस्य
7	मनोज पु०श्री जयप्रकाश	कृषक	आदर्श नगर के पास देसूसर - झुन्झुनू	सदस्य
8	सुमन प०श्री राजेश	गृहणी	न्यू कॉलोनी वार्ड नं 6 झुन्झुनू	सदस्य
9	जगचंद पु०श्री रामकरण	कृषक	खेतों की ढाणी जातुसर जिला झुन्झुनू	सदस्य
10	श्रवण पु०श्री श्योराम	कृषक	ग्रा.पो. दोरासर जिला झुन्झुनू	सदस्य
11	भैरोसिंह पु०श्री भगवाना	कृषक	ग्रा.पो. मालसर जिला - झुन्झुनू	सदस्य
12	संतोष प०श्री नेमीचंद	गृहणी	हरिजन कॉलोनी दोरासर जिला - झुन्झुनू	सदस्य
13	सुनिता प०श्री अशोक कुमार	गृहणी	मईला की ढाणी दोरासर जिला - झुन्झुनू	सदस्य
14	सुमन प०श्री अजय	गृहणी	खाजपुर के पास खाजपुर पुराना जिला - झुन्झुनू	सदस्य
15	संगीता प०श्री अर्जुनराम	गृहणी	मईला की ढाणी दोरासर जिला झुन्झुनू	सदस्य

गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह s/o श्री रामकरण	व्यापार	मॉडल पब्लिक स्कूल के पास, वार्ड नं. 3 झुंझुनूं	राजेन्द्र सिंह
2	सुशीला देवी w/o श्री राजेन्द्र सिंह	गृहणी	मॉडल पब्लिक स्कूल के पास वार्ड नं. 3, झुंझुनूं	Sushila
3	विद्याधर s/o श्री वीरबलराम	कृषक	ग्रा. पो. धारासर जिला - झुंझुनूं	विद्याधर
4	सज्जन कुमार s/o श्री विद्याधर	कृषक	मुहल्ला की ढाणी धारासर जि. झुंझुनूं	सज्जन
5	मनीराम s/o श्री रामनाथ	कृषक	मुहल्ला की ढाणी, धारासर जिला झुंझुनूं	मनीराम
6	सुमित्रा देवी w/o श्री इन्द्राज सिंह	गृहणी	नीलम टेंट हाउस के पास मनिनगर - झुंझुनूं	सुमित्रा
7	मनोज s/o श्री रामप्रकाश	कृषक	[illegible] नगर के पास धारासर - झुंझुनूं	Manoj
8	सुमन w/o श्री राजेश	गृहणी	70, न्यू कालोनी झुंझुनूं	सुमन
9	जगचंद s/o श्री रामकरण	कृषक	खेतो की ढाणी, धानुकरी जिला झुंझुनूं	जगचंद
10	श्रवण s/o श्री रघुराम	कृषक	ग्रा.पो. धारासर जिला झुंझुनूं	श्रवण
11	भैरोसिंह s/o श्री भगवाना	कृषक	ग्रा.पो. मालसर जिला झुंझुनूं	भैरोसिंह
12	संतोष w/o श्री नेमीचंद	गृहणी	इन्द्रा कालोनी, धारासर जिला झुंझुनूं	संतोष
13	सुनिता w/o श्री अशोक कुमार	गृहणी	मुहल्ला की ढाणी धारासर जि. झुंझुनूं	सुनिता
14	सुमन w/o श्री [illegible]	गृहणी	ख्वाजपुर की [illegible] ख्वाजपुरा, जिला झुंझुनूं	सुमन
15	संगीता w/o श्री [illegible]	गृहणी	मुहल्ला की ढाणी धारासर - झुंझुनूं	संगीता
16				
17	1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 81/झु/2015-16			
18	2. संस्था का नाम आर.के. मनीराम शिक्षण संस्थान झुंझुनूं			
19	3. किस्म दस्तावेज. 4. दस्तावेजों की संख्या			
20	5. दिनांक पंजीयन 04/[illegible]/2015 6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्थाएं (झुंझुनूं)			
21			रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

[मनीराम मंडीवाल]
प्रधानाचार्य
1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
झुंझुनूं (राज.)
(वीरबलसिंह)

शुल्क व चन्दा 1. संरक्षक राशि .....ग्यारह हजार..... वार्षिक/आजन्म

2. विशिष्ठ राशि .....पच्चीस हजार..... वार्षिक/आजन्म

3. सम्मानीय राशि .....पच्चीस हजार..... वार्षिक

4. साधारण राशि .....ग्यारह हजार..... वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रुपये .....एक मुश्त..... को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता के निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर

3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 3. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्माण हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्णय करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना।

3. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान से संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रिजस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यआवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति बैठक में कोरम में काई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व में एजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह में अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। विर्धारित अवधि में अध्यक्ष /मंत्री द्वारा बैठक व बुलाये जाने पर उक्त वक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाली समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होगें।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे-

(1) अध्यक्ष - एक (2) उपाध्यक्ष - एक (3) मंत्री - एक

(4) कोषाध्यक्ष - एक (5) सदस्य - तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पर या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में .....5..... पदाधिकारी.....10.....सदस्य कुल .....15..... सदस्य होंगे।

2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी और कर्तव्य होंगे।

1. सदस्य बनाना और निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन में कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थिति सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टी आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) अध्यक्ष :

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठक आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ख) उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(ग) मंत्री :

1. बैठक आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
4. पत्र व्यवहार करना।
5. वेतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
6. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(घ) उपमंत्री :

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य का संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौपें जावें।

(ड़) कोषाध्यक्ष :

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान

4. सहायता 5. राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

(ख) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें।

1. अध्यक्ष ....5 लाख.... रुपये

2. मंत्री ....5 लाख.... रुपये

3. कोषाध्यक्ष ....2 लाख.... रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखा जोखा का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेण्ट से कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का सामान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखा-जोखा का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनू को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22. वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) .... समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपी है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनू

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक
2. संस्था का नाम
3. किरम दस्तावेज
4. दस्तावेजों की संख्या
5. दिनांक पंजीयन
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनू

आर. के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान , वार्ड न. 13, झुंझुनू

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट संघ विधान संशोधन (पंजीयन संख्या -91/ झु/2015-16)

क्र. सं.	विधान की धारा सं.	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधन किया गया
1.	3	1. शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खोलना। 2. छात्र/छात्राओं का बौद्धिक मानसिक एवं शारीरिक विकास। 3. आर्थिक रूप से पिछड़ो को रियायती दर पर शिक्षा दिलाना। 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतरगत शिक्षा उपलब्ध करवाना। 5. छात्र छात्राओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। 6. शिक्षा एवं समाज के विकास के समुचित उपाय करना। 7. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाए खोलना एवं संचालन करना। 8. छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना। 9. तकनिकी शिक्षा उपलब्ध करना संस्थाएं खोलना। 10. संस्था द्वारा समाज के उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा पर्यावरण, चिकित्सा, साफ सफाई आदि के कार्य करना एवं सरकार द्वारा अन्य संस्थाओ के साथ मिलकर इन कार्यों को करना/कराना। 11. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी एवं जरुरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को रहन रख सकेंगें।	1. शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खोलना। 2. छात्र/छात्राओं का बौद्धिक मानसिक एवं शारीरिक विकास। 3. आर्थिक रूप से पिछड़ो को रियायती दर पर शिक्षा दिलाना। 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतरगत शिक्षा उपलब्ध करवाना। 5. छात्र छात्राओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। 6. शिक्षा एवं समाज के विकास के समुचित उपाय करना। 7. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाए खोलना एवं संचालन करना। 8. छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना। 9. तकनिकी शिक्षा उपलब्ध करना संस्थाएं खोलना। 10. संस्था द्वारा समाज के उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा पर्यावरण, चिकित्सा, साफ सफाई आदि के कार्य करना एवं सरकार द्वारा अन्य संस्थाओ के साथ मिलकर इन कार्यों को करना/कराना। 11. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी एवं जरुरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को रहन रख सकेंगें। 12. उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना। 13. छात्र छात्राओं को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थाएं खोलना।

कोषाध्यक्ष
आर.क.मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुंझुनूं (राज.)

अध्यक्ष
आर.के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुंझुनूं (राज.)

सचिव
आर. के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुंझुनूं (राज.)

आर. के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान , वार्ड न. 13, झुंझुनू

नई कार्यकारिणी (पंजीयन संख्या -91/ झु/2015-16)

क्र.संख्या	नई कार्यकारिणी	पद
1.	राजेंद्र सिंह पुत्र रामकरण सिंह	अध्यक्ष
2.	राजेश मंडीवाल पुत्र रामकरण सिंह	मंत्री
3.	सुभिता देवी पत्नी राजेंद्र सिंह	कोषाध्यक्ष
4.	संगीता देवी पत्नी जितेन्द्र बुडानिया	उपाध्क्षय
5.	विधाधर पुत्र बीरबल राम	उप मंत्री
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)	पदेन सदस्य
7.	रविन्द्र कुमार कटेवा पुत्र हरदयाल सिंह	पदेन सदस्य
8.	अजयकुमार डुडी पुत्र हरी सिंह	पदेन सदस्य
9.	सज्जन कुमार पुत्र विधाधर	सदस्य
10.	जाग चंद पुत्र रामकरण	सदस्य
11.	श्रवण पुत्र श्योराम	सदस्य
12.	रामप्रताप सिंह पुत्र रामू राम	सदस्य
13.	संतोष देवी पत्नी नेमी चंद	सदस्य
14.	सुनीता देवी पत्नी अशोक कुमार	सदस्य
15.	सुमन देवी पत्नी अजय कुमार	सदस्य
16.	सुमन देवी पत्नी राजेश कुमार	सदस्य
17.	मनी राम पुत्र रामनाथ	सदस्य
18.	जितेन्द्र बुडानिया पुत्र रामप्रताप सिंह	सदस्य
19.	डॉ पुष्पेन्द्र बुडानिया पुत्र रामप्रताप बुडानिया	सदस्य
20.	सावित्री देवी पत्नी रामप्रताप सिंह	सदस्य
21.	सुमेर देवी पत्नी रामस्वरूप बलौदा	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, झुंझुनूं
राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्र संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये पत्र को कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 01 से 07 तक उपलब्ध है जो कि प्रमाणित प्रति है।
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
प्रमाणित प्रति दिए जाने की दिनांक

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

कोषाध्यक्ष
आर.क.मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुझुनू (राज.)

अध्यक्ष
आर.के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुंझुनूं (राज.)

सचिव
आर. के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान
झुंझुनूं (राज.)

संस्था का नाम :- आर.के. मेमोरियल शिक्षण संस्थान, रोड नं. 3, झुन्झुनू

आम सभा बैठक दिनांक 05.09.2020 में चयनित प्रबन्ध कार्यकारिणी सूची Regd No. 91/Jhu/2015-16

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	राजेंद्र सिंह	रामकरण	व्यापार	रोड नं. 3, झुन्झुनू	अध्यक्ष
2	राजेश कुमार	रामकरण	व्यापार	रोड नं. 3, झुन्झुनू	सचिव
3	सुभीता देवी	राजेंद्र सिंह	गृहणी	रोड नं. 3, झुन्झुनू	कोषाध्यक्ष
4	संगीता देवी	जितेन्द्र बुडानिया	गृहणी	टोडी दूड़िया, झुन्झुनू	उपाध्यक्ष
5	विधाधर	बीरबल राम	कृषि	दोरासर, झुन्झुनू	उपमंत्री
6	जिला शिक्षा अधिकारी	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षाविद	कार्यालय मा.शि. झुन्झुनू	पदेन सदस्य
7	रविन्द्र कुमार कटेवा	हरदयाल सिंह	शिक्षाविद	बख्तावरपुरा, झुन्झुनू	पदेन सदस्य
8	अजय कुमार डूडी	हरी सिंह	शिक्षाविद	खाजपुर का बास, झुन्झुनू	पदेन सदस्य
9	सज्जन कुमार	विधाधर	कृषि	दोरासर, झुन्झुनू	सदस्य
10	जागचन्द	रामकरण	कृषि	पातुसरी, झुन्झुनू	सदस्य
11	श्रवण	श्योराम	कृषि	दोरासर, झुन्झुनू	सदस्य
12	रामप्रताप सिंह	रामूराम	कृषि	टोडी दूड़िया, झुन्झुनू	सदस्य
13	सन्तोष देवी	नेमीचन्द	गृहणी	दोरासर, झुन्झुनू	सदस्य
14	सुनीता देवी	अशोक कुमार	गृहणी	दोरासर, झुन्झुनू	सदस्य
15	सुमन देवी	अजय कुमार	गृहणी	खाजपुर नया, झुन्झुनू	सदस्य
16	सुमन देवी	राजेश कुमार	गृहणी	रोड नं. 3, झुन्झुनू	सदस्य
17	मनीराम	रामनाथ	कृषि	दोरासर, झुन्झुनू	सदस्य
18	जितेन्द्र बुडानिया	रामप्रताप सिंह	व्यापार	टोडी दूड़िया, झुन्झुनू	सदस्य
19	डॉ पुष्पेन्द्र बुडानिया	रामप्रताप सिंह	व्यापार	टोडी दूड़िया, झुन्झुनू	सदस्य
20	सावित्री देवी	रामप्रताप सिंह	गृहणी	टोडी दूड़िया, झुन्झुनू	सदस्य
21	सुमेर देवी	रामस्वरूप बलौदा	गृहणी	डाबड़ी बलौदा, झुन्झुनू	सदस्य

२१।०५।२०२६

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
झुंझुनूं